अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अ…

148/2015/225 RTA. हेमराज / नारायो

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
	2015/148 ... 1, 3, 6, 45 11, 14/4, 31, 37/4, 41, 61/28
पेशी	श्री गौरव डवे / रूपकुशर्मा श्री शिवप्रकाश चौधरी 28

01.04.26 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र 0.22 R 4 सपठित 151 CPC मय धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में देरी के सम्बन्ध में किये गये कथन संतोषजनक होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में देरी को माफ किया जाता है तथा मृतक के वारिसानों को मृतक अपीलांट के स्थान पर सरवाईवल करने से प्रार्थना पत्र 0.22 R 4 सपठित धारा 151 CPC मय धारा 5 मियाद अधि. स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न मृतक रेस्पो. नं. 1 (नारायो), रेस्पो नं. 3 (कपूरचंद), रेस्पो नं. 4 व 6 (मुन्न्या) के विधिक वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अभिभाषक अपीलांट आपत्ति संशोधित उनवान पेश करें। पत्रावली वास्ते पेश करने संशोधित उनवान व बहस अपील हित 07/4/26 को पेश हो। [signature]

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7/4/26. पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपा. अपीलांट की ओर से श्री रूपकुशर्मा एड. ने वकालतनामा पेश किया, शामिल मिसल हो। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अपील विड्रो फरमाये जाने पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील को आगे नहीं चलाकर विड्रो करवाना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील को विड्रो फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए, आदेशिका पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान उनके अभिभाषक श्री रूपकु शर्मा द्वारा की गई।

अतः अपील अपीलांट आगे नहीं चलाये जाने से जरिये विड्रो खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

हेमराज खटीक
पक्षकार
[signature]

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

अपील संख्या 28. सन् 2015 जिला अजमेर

2015/00448

1. हेमराज पुत्र गजानन्द खटीक निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

.... अपीलांट

बनाम

1. नारयो पुत्र रामनाथ कंजर निवासी कंजर बस्ती, केकडी जिला अजमेर। (फौत)
2. रामनिवास पुत्र स्व. नाथूलाल जाति कंजर निवासी केकडी जिला अजमेर।
3. रूपचन्द पुत्र स्व. नाथूलाल जाति कंजर निवासी केकडी जिला अजमेर। (फौत)
4. जगदीश पुत्र स्व. नाथूलाल दत्तक पुत्र नारयो जाति कंजर निवासी केकडी जिला अजमेर।
5. बील्या पुत्र स्व. नाथूलाल जाति कंजर निवासी केकडी जिला अजमेर।
6. बूच्या पुत्र स्व. नाथूलाल जाति कंजर निवासी केकडी जिला अजमेर। (फौत)
7. मु. कलाडी पुत्री स्व. नाथूलाल जाति कंजर निवासी केकडी जिला अजमेर।
8. मु. माला पत्नी स्व. नाथूलाल जाति कंजर निवासी केकडी जिला अजमेर।
9. नामालुम पुत्री स्व. नाथूलाल जाति कंजर निवासी केकडी जिला अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणी जिला जोधपुर।

.... रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी दिनांक 26.12.15

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 188, 92–ए व साथ में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी 1632 में दर्ज खसरा नं. 6070 रकबा 0.39 हैक्टर जो जमाबंदी 2065 से 2068 में अपीलांट हेमराज के खातेदारी में दर्ज है। विवादग्रस्त आराजी का मूल खातेदार अपीलांट का दादा रामदेव पुत्र कजोड था

Scanned with CamScanner